| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 31-3-21 | पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं कर वकील वादी की बहस सुनी गई बहस समाप्त पत्रावली को गर्ज वास्ते आदेश पत्रावली 22-4-21 को पेश हो। |
| 22-4-21 | पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वादी वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण नियमानुसार ~~[illegible]~~ निस्तारण हेतु तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रेषित किया गया है अतः निर्णय/डिक्री की प्रति तहसीलदार इन्द्रगढ़ को भिजवाई जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

# यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

11/दावा/2021 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनाकं 07.01.2021 श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

1 बद्रीलाल आ0 भोलू जाति रेबारी निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

2 देशराज आ0 भोलू जाति रेबारी निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

3 नाजु बाई आ0 भोलू जाति रेबारी निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

...वादीगण

—बनाम—

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादी

वाद खातेदारी घोषणा व रिकार्ड में अंकन

अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 22.04.2021

वादी ने अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नं0 796 रकबा 20.95 हैक्टेयर वाके ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में विस्थित है। कृषि भूमि खसरा नं0 796 रकबा 20.95 में से 1.00 हैक्टेयर कृषि भूमि का बाबूलाल आ0 भोलू रेबारी निवासी डागांहेडी को सन 2002 को आंवटन हुआ है। एवं आंवटी का कब्जा था व इसी अनुसार वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है तथा आंवटी का सन 2002 से लगातार कब्जा था। लेकिन आंवटी की मृत्यु 20.10.2005 को हो चुकी है तथा आवंटी नाऔलाद है एवं इसके वैध उत्तराधिकारी वादीगण है। तथा आवंटी की मृत्यु के बाद वादीगण काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे है। मूल आवंटी खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करना राजस्व कर्मचारियों का कर्तव्य है, किन्तु अंकन नही किया और खातेदार की मृत्य हो चुकी है तथा पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8,15 के अनुसार वादीगण उत्तराधिकारी है एवं अपना नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में अंकन करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:42 IST
Reason: SelfAttested

आंवटन की शर्तो कि पालना आंवटी द्वारा पूर्ण रूप से की गई है तथा उक्त भूमि अनकमाण्ड एरिया में आती है जो कि निशुल्क आवंटन है। मूल आवंटी की मृत्यु हो गई है। आवंटी के वारिसान वादीगण को कानूनन खातेदारी प्राप्त करने के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

अधिकारी है। आवंटन की शर्त मुताबिक गैरखातेदारी व गैर खातेदारी से खातेदारी अंकन का जो नियम है वे सभी शर्ते पूर्ण हो चुकी है और आवंटन नियमों के मुताबिक वादीगण खातेदार बन चुके है। खसरा नं0 796 रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम डागांहेडी पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। लेकिन वादीगण को आज दिनांक तक खातेदारी अधिकार नही मिले है। वादीगण इस बाबत् उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ को खातेदारी अधिकार देने बाबत् कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके है। वादीगण द्वारा अन्तिम बार दिनांक 10.12.2020 को प्रतिवादी से खातेदारी अधिकार दिए जाने बाबत् निवेदन किया गया किन्तु प्रतिवादी द्वारा मना कर दिया गया एवं बेदखल करने की धमकी दी गई, यही वाद कारण रहा। ओर अन्त में निवेदन किया गया कि कृषि भूमि खसरा सं. 796 रकबा 20.95 हैक्टेयर सिवायचक में से रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादी को पाबन्द किया जावें कि वह वादीगण को क़ब्जे काश्त भूमि से बेदखल नही करें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार जवाब दावा प्रस्तुत कर आवंटन होना स्वीकार करते हुए कथन किया कि बाबू आ0 भोलु जाति रेबारी निवासी डागांहेडी को खसरा नं0 796 रकबा 20.95 मे से 1.00 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम डागांहेडी में वर्ष 2002 में आवंटन हुई थी। आवंटी की मृत्यु होने से वादीगण आवंटी के वारिसान द्वारा साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कार्यवाही किया जाना स्वीकार है। पेरोकार सरकार द्वारा यह भी कथन किया गया कि आवंटन शर्तो की पालना एवं कब्जा काश्त के सम्बन्ध में साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का भार वादी पर है। साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में आवंटन हेतु आवेदन पत्र आवंटन आदेश वर्ष 2002 की सत्यापित प्रति, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1 सम्वत् 2070–2073 पेश किए एवं आवंटन सूची, आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रतिया पेश की है। एवं कब्जे बाबत् खसरा परिवर्तनशील (पी–14) सम्वत् 2077 पेश किए गए है। पेनल्टी रशीद 91 का नोटिस की छायाप्रतिया सम्वत् 2077 पेश किए गए है। मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:42 IST
Reason: Self-Attested

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

आवंटी बाबू लाल आ0 भोलु को वर्ष 2002 मे खसरा नं0 796 रकबा 20.95 हैक्टेयर में से 1.00 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ में आवंटित हुई थी आवंटी का कब्जा काश्त होने पश्चात भी आवंटन का राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अमल नही किया गया। आवंटी की लाऔलाद फौत होने से आवंटी के वारिस वादीगण को आवंटन भूमि को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

हमारे द्वारा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सत्यापित प्रति आवंटन आदेश वर्ष 2002 से स्पष्ट है कि आवंटी बाबू लाल आ0 भोलु जाति रेबारी निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ. को खसरा नं0 796 रकबा 20.95 में से 1.00 हैक्टेयर भूमि आवंटन की गई थी। आवंटी बाबू लाल आ0 भोलु लाऔलाद दिनांक 20.10.2005 को हो चुकी है। वादीगण द्वारा वारिस के रूप में आवंटी की आवंटन भूमि पर कब्जे अनुसार अधिकार घोषणा खातेदारी चाही गई है। वादीगण द्वारा कब्जे बाबत् सम्वत् 2077 की (पी–14) 1 वर्ष पेश की गई है। वादीगण द्वारा कब्जे बाबत् पूर्ण साक्ष्य दस्तावेज एवं वारिसान के दस्तावेज के अभाव में वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रति प्रेषित किया जाता है कि आवंटित भूमि अनकमाण्ड एरिया की होने से एवं आवंटी द्वारा आवंटन नियम 1970 की शर्तो का पूर्ण पालना करने पर तहसीलदार स्वंय नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज करने में सक्षम है, अतः तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि आवंटी के वारिसान एवं आवंटी द्वारा आवंटन नियम 1970 की शर्तो की पालना एवं कब्जे का साक्ष्य दस्तावेज लिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

# अन्तिम डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई

## (O 20,Rr 6,7)

## (civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालत ................उपखण्ड अधिकारी.................................. मुकाम.........................लाखेरी..............................
व इजलास.........श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.)...............................................................................................
बद्री आ0 भोलु जाति रेबारी निवासी बनाम 1 राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़
डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ (प्रतिवादी)
वगैरह (वादीगण)

दावा बाबत 88,89 आर0 टी0 एक्ट एक्ट .................

मुकदमा नम्बर.....................................11 / दावा / 2021.................................सन......................2021................
.........यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........हमरे..................................................व हाजिरी

.....श्री महेन्द्र कुमार रेबारी एडवोकेट ......................मिनजानिब मुद्दई रूबरू...................पैरोकार सरकार.................
..............................................मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रति प्रेषित किया जाता है कि आवंटित भूमि अनकमाण्ड एरिया की होने से एवं आवंटी द्वारा आवंटन नियम 1970 की शर्तो का पूर्ण पालना करने पर तहसीलदार स्वंय नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज करने में सक्षम है अतः तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है किं आवंटी के वारिसान एवं आवंटी द्वारा आवंटन नियम 1970 की शर्तो की पालना एवं कब्जे का साक्ष्य दस्तावेज लिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

................................................................................................................................ निज..................................
...........................................................................................................खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद
.....मुबलिग...........................................................बाबत...................................................
बशरह ...................................................................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी
तक .............................................................का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......22......माह.. ..04... सन...
2021.........................को जारी की गई।

**दस्तखत**

ओहदा

मुहर

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुद्दायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.स्टाम्प अर्जीदावा | | | | | |
| 2.स्टाम्प वकालतनामा | | | [illegible] | | |
| 3.स्टाम्प वजह सबूत | | | [illegible] | | |
| 4.महनताना वकील | | | [illegible] | | |
| 5.खर्चा गवाहॉन | | | 5.फीस [illegible] | | |
| 6.फीस कमिश्नर | | | 6.बाबत [illegible] हुक्मनामा | | |
| 7.बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:57:42 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी [illegible] जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner